न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास गजेन्द्र सिंह राठौड, आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर)

अपील एल आर एक्ट संख्या :-104/2020/भीलवाड़ा कैम्प

1. श्रीमति लाछीदेवी पत्नि हरिंगजी गुर्जर उम्र 70 वर्ष नि0 मोटा का खेड़ा तह0 करेड़ा।
2. श्रवण वल्द हरिंगजी गुर्जर उम्र 50 वर्ष नि0 मोटाकाखेड़ा तह0 करेड़ा।
3. माधू वल्द हरिंगजी गर्जर उम्र 30 वर्ष नि0 मोटाकाखेड़ा तह0 करेड़ा जिला भीलवाड़ा।

........अपीलाण्टस

बनाम

1. राजकीय उच्च प्राथमिक विधालय मोटाकाखेड़ा जरिये प्रधानाध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विधालय मोटाकाखेड़ा तह0 करेड़ा।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सा0 करेड़ा।
3. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलेक्टर सा0 भीलवाड़ा।

–विपक्षीगण रेस्पोडेण्डस

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 14.01.2002 जिला कलेक्टर भीलवाड़ा बप्रकरण संख्या आरए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम।

उपस्थित अभिभाषकः– श्री बी0एल0गुर्जर(अपीलांट अभि0)
राजकीय अभिभाषकः–अनुपस्थित

निर्णय दिनांकः–03.02.2023

संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम मोटाकाखेड़ा तहसील माण्डल हाल तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा के आराजी नम्बर 61 मीन रकबा 7 बीघा 1 बिस्वा भूमि में से 2 बीघा 1 बिस्वा भूमि जिला कलक्टर भीलवाड़ा द्वारा दिनांक 14.01.2002 को राजकीय उच्च प्राथमिक विधालय मोटाकाखेड़ा को खेल मैदान हेतु आवंटित कर दी। उक्त भूमि विधालय से काफी दूर है तथा अपीलांट के अनुसार खेल मैदान के योग्य नहीं है तथा अपीलांट के अनुसार उनका कब्जाकाश्त व निवास विवादित भूमि पर है। उक्त विवादित भूमि के पास ही अपीलांटगण की कृषि भूमि भी स्थित है। अपीलांटगण की कृषि भूमि आराजी नम्बर 206 से विवादित आराजी संख्या 61 मीन लगी हुई है तथा दोनो आराजी इकजई होकर एक चक के रूप में स्थित है। अपीलांटगण का पिछले 50 वर्षो से कब्जा चला आ रहा है। वे भूमिहीन काश्तकार है। अपीलांट द्वारा निम्न आधार पर अपील प्रस्तुत की गई है–

1. विवादित भूमि पर अपीलांटगण का कब्जाकाश्त है एवं मकान बना हुआ है। मौका रिपोर्ट मुआयना आवंटन किया गया है जो गलत है।

2. अपीलांटगण आवंटन नियम की पात्रता रखते है तथा उन्हें सुना नहीं गया।

3. भूमि स्कूल के काम नहीं आ पायेगी। अपील स्वीकार की जाये और अपीलाधीन आदेश द्वारा जिला कलक्टर भीलवाड़ा दिनांक 14.01.2002 को अपास्त कर दिया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:21:51 IST
Reason: SelfAttested

अपील के साथ अपीलांट द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र तथा स्थगन प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया तथा अपील के साथ अपीलाधीन आदेश जिला कलक्टर भीलवाड़ा दिनांक 14.01.2002 की प्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत की।

अपीलांट द्वारा प्रथमतः अपील आरएए न्यायालय भीलवाड़ा में दिनांक 10.09.2014 को प्रस्तुत की गई थी। जिसे उस समय 145/2014 नम्बर दिया गया था। उक्त अपील उनके

द्वारा दिनांक 17.12.2019 को राजस्व ग्रुप–6 विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.10.2019 के अनुसरण में न्यायालय हाजा का क्षेत्राधिकार होने से सुनवाई हेतु प्रेषित की गई। जिसे न्यायालय हाजा में प्रकरण संख्या 104/2020 के रूप में दिनांक 26.02.2020 को दर्ज रजिस्टर किया गया।

बहस सुनी गई। वकील अपीलांट उपस्थित थे, राजकीय अभिभाषक अनुपस्थित रहे। बहस में राजकीय अभिभाषक ने बताया कि विवादित खसरा नम्बर 61 मीन है। जिसमें से 2 बीघा 1 बिस्वा भूमि विधालय के खेल मैदान हेतु जिला कलक्टर भीलवाड़ा द्वारा दिनांक 14.01.2002 को आवंटित की गई। आवंटन के समय भूमि अधिवासीत भूमि थी तथा अपीलांट के पति हरिंगजी के कब्जेकाश्त में थी तथा आवंटन के पूर्व भी उनके कब्जेकाश्त में थी। भौतिक रूप से हमारा कब्जा नहीं हटाया गया। हमारा लम्बे समय से कब्जा है। शेष रकबा खाली पड़ा है।

सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अवधि अधिनियम प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थी अपीलांट के अनुसार दिनांक 30.07.2014 को जब अपीलांट को बेदखल करने आये, तब विवादित आदेश की जानकारी हुई तथा शीघ्र नकल प्राप्त कर अपील प्रस्तुत कर दी गई है। देरी को क्षमा किया जाये। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। चूंकि अपीलाधीन आदेश जिला कलक्टर भीलवाड़ा दिनांक 14.01.2002 में अपीलांटगण पक्षकार नहीं थे। उन्हें आदेश की जानकारी नहीं रही होगी। अतः जानकारी दिनांक से अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाता है।

प्रार्थी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थी के अनुसार विवादित भूमि के अलावा उसके पास अन्य कोई कृषि भूमि नहीं है तथा स्थगन न होने पर पक्षकारों के मध्य विवाद पैदा होता है। अंत में निवेदन किया कि उन्हें बेदखल न किया जाये और अपील निस्तारण तक यथास्थिति बनायी रखी जायें। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। अपील मीमो में अपीलांट द्वारा अपने खाते की भूमि आराजी 206 को विवादित आराजी 61 मीन के पास होना बताया तथा स्थगन प्रार्थना पत्र में विवादित आराजी के अलावा अन्य कोई कृषि भूमि नही होना बताया है। जो कि विरोधाभासी विवरण है। विवादित भूमि अपील मीमो के अनुसार विधालय के नाम खेल मैदान हेतु आवंटित कर दी है। ऐसी स्थिति में अपीलांट का प्रथम दृष्टया प्रकरण नहीं बनता है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया प्रकरण के अभाव में खारिज किया जाता है।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र के अनुसार विवादित भूमि पर अपीलांटगण का पिछले 40 वर्षों से कब्जाकाश्त चला आ रहा है तथा हितबद्ध पक्षकार है। उन्हें अपील प्रस्तुत करने की इजाजत दी जायें। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। चूंकि अपीलांट द्वारा विवादित भूमि पर आवंटन से पूर्व और बाद में अपना कब्जा बताया है। ऐसी स्थिति में अपीलांटगण को हितबद्ध व्यक्ति मानते हुए अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी जाती है। अपीलांट द्वारा एक अन्य प्रार्थना पत्र आरएए न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के समक्ष दिनांक 25.07.2017 को प्रस्तुत कर मौका रिपोर्ट मंगवाने हेतु प्रार्थना पत्र दिया था। जिसमें उनके द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मौका रिपोर्ट मंगवाये जाने हेतु आदेश किया था। मौका रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

बहस बिन्दुओ पर मनन किया गया। अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.01.2002 द्वारा जिला कलक्टर भीलवाड़ा के आवंटन से संबंधित आवेदन का अवलोकन किया गया। आवंटित भूमि को रिपोर्ट पटवारी में विधालय से 200 फीट दूर बताया तथा यह भी बताया कि खेल मैदान के उपयोग हेतु यह भूमि उपयुक्त है और किसी को कोई आपत्ति नहीं है। तहसीलदार द्वारा खसरा नम्बर 61 में से 2 बीघा 1 बिस्वा भूमि उपयुक्त बताया। रिपोर्ट पटवारी मोटाकाखेड़ा के

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:21:51 IST
Reason: SelfAttested

अनुसार जिसमें दिनांक अंकित नहीं है। मौका देखा गया। मौके पर भूमि खाली पड़ी हुई है। वर्तमान में यह भूमि 2 बीघा 1 बिस्वा खेल मैदान में उपयोग में आती है। अतः इसे खेल मैदान के नाम कर दी जाये तो किसी को कोई आपत्ति नहीं है।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि आवंटन के समय भूमि खाली पड़ी हुई थी तथा खेल मेदान हेतु काम ली जाती थी। इसी वजह से उक्त भूमि का आवंटन खेल मैदान हेतु किया गया था। निर्धारित फोर्मेट में प्रभारी अधिकारी प्रशासन गांवों के संग अभियान में उक्त प्रस्ताव बनाकर जिला कलक्टर भीलवाड़ा को आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाया गया था। जिस पर बाद में जिला कलक्टर भीलवाड़ा द्वारा आदेश जारी किया गया था।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर जमाबंदी संवत 2070–73 ग्राम मोटाकाखेड़ा खाता संख्या नया 177 का अवलोकन किया गया। उक्त खाता में कुल खसरा नम्बर 14 है। रकबा 11 बीघा 5 बिस्वा है तथा अपीलांटगण 1 के पति व अपीलांटगण 2 से 4 के पिता हरिंग का नाम सहखातेदार के रूप में दर्ज है। अपीलांटगण द्वारा विवादित भूमियों पर अपना कब्जा बताया है। अपीलांटगण के नाम पर विवादित भूमियों पर कब्जे बाबत कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। प्रकरण संख्या 1128/96 में हरिंग पिता उदा का कब्जा 2 खसरा नम्बर में होने पर उन्हे 91 एलआरएक्ट के तहत नोटिस जारी किया गया था। इसी प्रकार प्रकरण संख्या 1104/97 में भी हरिंग पिता उदा को खसरा नम्बर 61,62 पर अतिक्रमण करने से धारा 91 एलआरएक्ट के तहत नोटिस जारी किया गया था। प्रकरण संख्या 686/99 में भी हरिंग पिता उदा को खसरा नम्बर 62 हेतु तथा प्रकरण संख्या 392/2 में खसरा नम्बर 61, 62 हेतु हरिंग पिता उदा को नोटिस जारी किये गये। प्रकरण संख्या 417/3 में खसरा नम्बर 62 हेतु तथा प्रकरण संख्या 356/4 में भी हरिंग पिता उदा को खसरा नम्बर 62 हेतु एलआरएक्ट की 91 धारा के तहत नोटिस जारी किये गये है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अंतिम बार हरिंग पिता उदा को विवादित खसरा नम्बर हेतु दिनांक 09.10.2002 को एलआरएक्ट की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया था। विवादित भूमि हेतु 2002 के बाद कोई नोटिस अतिक्रमण बाबत जारी किया जाना नहीं पाया गया। हालांकि खसरा नम्बर 62 हेतु नोटिस जारी करना पाये गये है मगर वह विवादित भूमि नहीं है। स्पष्ट है कि विवादित भूमियों पर अपीलांटगण का कोई कब्जाकाश्त नहीं है। आवंटन से पूर्व यदि हरिंग का कब्जा भी था तो भी उसे निर्धारित प्रक्रिया के तहत राजस्व विभाग द्वारा हटाया गया है। आवंटन के लिए अतिक्रमित भूमि को भी अनाधिवासीत भूमि माना जाता है। ऐसी स्थिति में अपीलांटगण कब्जे के आधार पर कोई अनुतोष प्राप्त नही कर सकते है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य महत्वपूर्ण साक्ष्य है। इसके विपरीत अन्य साक्ष्य मंगवाये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अपील द्वारा अपीलांट खारिज की जाती है। अपीलाधीन आदेश जिला कलक्टर भीलवाड़ा क्रमांक एफ–12/3(अ–70) /आरए/2 के0 02 दिनांक 14.01.2002 यथावत रखा जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 03.02.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:21:51 IST
Reason: SelfAttested

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर